

फर्ड अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
सरकार बनाम ओमप्रकाश ग्रोवर
प्रकरण संख्या 2025/018

online #

अन्तर्गत धारा 212 एवं 212(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
17.04.2025	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 2637 दिनांक 16.04.2025 से पत्रावली संख्या 217/2023 अनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश ग्रोवर अन्तर्गत धारा 212 एवं 212 (क) आरटीए का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकारिता का नहीं होने एवं न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का होने के कारण स्थानान्तरित करने पर प्राप्त हुई। पत्रावली नये नम्बर पर दर्ज की जाकर वास्ते बहस हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2025 को पेश हो।</p>	
22.04.25	<p>पत्रावली पेश हुई राज केरी गार उक्त न्याय मूल प्रार्थना पत्र 177/2023 खारिज किया जा चुका है अतः विनिश्च प्रार्थना पत्र 212/2023 का कोई अर्थ नहीं रहे जाता है अतः कि. का. पत्र 212 पत्रावली खारिज पर खारिज किया जाता है पत्रावली में अलग कोई कार्य अस्तित्व नहीं है पत्रावली दाखल नम्बर का भी जकार निगमि की डीपी के शाही के</p>	

